दिनांक 27.07.2016 को उपायुक्त, गुमला की अध्यक्षता में आहुत C.S.R. (Corporate Social Responsibility) बैठक की कार्यवाही

दिनांक 27.07.2016 को उपायुक्त की अध्यक्षता में C.S.R. (Corporate Social Responsibility) अन्तर्गत जिला स्तरीय पदाधिकारी एवं निजी क्षेत्र के कार्पोरेट के साथ बैठक आहूत की गयी, जिसमें निम्न प्रकार से जिला स्तरीय गठित समिति में पदाधिकारी एवं कम्पनी के प्रतिनिधि भाग लिए :–

उपस्थिति

01. श्रवण साय, उपायुक्त भा0 प्र0 से0	—	अध्यक्ष
02. नागेन्द्र कुमार सिन्हा, उप विकास आयुक्त, गुमला	—	सदस्य
03. अपर समाहर्त्ता, गुमला	—	सदस्य
04. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला	—	सदस्य / सचिव
05. सिविल सर्जन, गुमला	—	सदस्य
06. जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला के प्रतिनिधि	—	सदस्य
07. सहायक खनन पदाधिकारी, गुमला	—	सदस्य
08. महाप्रबंधक, हिण्डालको, लोहरदगा	—	सदस्य

सर्वप्रथम उपायुक्त, गुमला ने बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों एवं सदस्यों का स्वागत किया। तत्पश्चात् बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

कार्यवाही

उपायुक्त, गुमला द्वारा हिण्डालको के प्रतिनिधि श्री आर0 डी0 गुप्ता, से इस वित्तीय वर्ष में अब तक किये गये कार्यों की जानकारी माँगी। हिण्डालको के प्रतिनिधि ने बताया कि गत वर्ष में CSR के तहत हिण्डालको के द्वारा किये जाने वाले कार्य ही वर्ष 2016–17 में किया जा रहा है । जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए सिलाई प्रशिक्षण एवं ग्रामीण बच्चों को गाँव से शहर तक लाने हेतु बस मुहैया कराना तथा बिमार व्यक्तियों के लिए एम्बुलेंस की सुविधा हिण्डालको द्वारा दी गयी है । इस पर उपायुक्त ने कहा कि वर्ष 2015–16 में आपके द्वारा रेकरिंग एवं नन रेकरिंग एक्सपेंडिचर किन–किन मदों में किया गया है इसकी विस्तृत सूची अगले बैठक में दें । ताकि यह पता चल सके कि स्थायी रूप से किस तरह का कार्य आपके द्वारा किया गया है एवं प्रशिक्षण तथा अन्य Vocational कार्य में कितनी राशि खर्च की गई है । उपायुक्त ने हिण्डालाको के प्रतिनिधि से यह जानकारी मांगी की माईनिंग एरिया के कौन–कौन सा गाँव बॉक्साईट के माईनिंग के उपरान्त 100%, 80% एवं 60% प्रभावित है, उसकी सूची अगले बैठक मे हिण्डालको को देने को कहा गया, ताकि उन प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय इत्यादि का समूचित व्यवस्था करायी जा सके। वर्ष 2015–16 में हिण्डालको को गुमला जिला अन्तर्गत माईनिंग के उपरान्त कितनी राशि CSR के अन्तर्गत खर्च करना था उसके विरूद्ध कितनी राशि खर्च की गई है, ताकि यह आकलन किया जा सके कि वर्ष 2015–16 में किये गये खर्च समूचित है या और भी अतिरिक्त राशि 2015–16 में CSR के तहत खर्च किया जाना शेष है। हिण्डालको के प्रतिनिधि अगले बैठक में net Profit के अनुपात में इस जिला को कितनी राशि और दी जा सकती है, इसकी सूचना देंगे। उपायुक्त ने 2015–16 में किये गये कार्यों का विस्तृत प्रतिवेदन एवं उसमें होने

वाले खर्च का भी ब्यौरा की सूची अगले बैठक में लाने हेतु कहा । हिण्डालको के प्रतिनिधि ने बताया कि उनका 4 टीम मलेरिया जोन में काम कर रहा है । उपायुक्त ने सिविल सर्जन, गुमला को निदेश दिया कि हिण्डालको के प्रतिनिधि के साथ बैठकर तिथि निर्धारित किया जाय एवं मलेरिया के अतिरिक्त जगह–जगह कैम्प लगाकर सीकिल सेल एनीमिया के ग्रसित बच्चें एवे स्त्री–पुरूष की जाँच की जाय एवं उन्हें समुचित इलाज की व्यवस्था की जाय तथा इसका कीट भी मंगाने का शिघ्र व्यवस्था की जाय ।

उपायुक्त ने बाल संप्रेक्षण गृह, तिर्रा, गुमला एवं मूक वधिर आवासीय विद्यालय तिर्रा, गुमला को महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला के साथ हिण्डालको के प्रतिनिधि को स्थल निरीक्षण हेतु निदेश दिया ताकि संप्रेक्षण मृह में Vocational Training एवं मूक वधिर आवासीय विद्यालय में पानी की समूचित व्यवस्था हिण्डालको के द्वारा करायी जा सके। वर्त्तमान में मूक वधिर आवासीय विद्यालय में पानी की समूचित व्यवस्था नहीं रहने के कारण वहाँ टैंकर से पानी लाया जाता है । उपायुक्त ने स्थल पर भ्रमण कर सर्वे कर Low level भूमि पर Deep Boring करा कर पानी आपूर्ति करने हेतु आवश्यक निर्देश दिया । उपायुक्त ने कहा कि वैसा प्रशिक्षण दिया जाय जिसमें प्रशिक्षण के उपरान्त लाभूक स्वावलंबी हो सके । इसमें सर्वसम्मति से सिलाई प्रशिक्षण देकर लोगों के बीच सिलाई मशीन वितरित किये जाने पर सहमती दी गई । सिलाई मशीन प्रशिक्षण के बाद हिण्डालको को बाटने हेतु निदेश दिया गया । घाघरा एवं विशुनपुर में पी0 पी0 पी0 मोड में विकास भारती के माध्यम से स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें 360 बच्चें पढ़ रहे हैं, वहाँ बेंच, डेस्क, बेड इत्यादि की काफी कमी है वे बच्चें जमीन पर गद्दा लगाकर सो रहे हैं, इस कारण इन दोनों स्कूलों का निरीक्षण कर बेंच, डेस्क, गद्दा इत्यादि का समूचित व्यवस्था कराने हेतु भी हिण्डालको के प्रतिनिधि को निदेश दिया गया ।

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी ।

Sd/-
उपायुक्त, गुमला

ज्ञापांक ..../ गुमला, दिनांक ..../

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, गुमला/अपर समाहर्त्ता, गुमला/ महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, गुमला/सिविल सर्जन, गुमला/ जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला/ जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला/सहायक, खनन पदाधिकारी, गुमला/अध्यक्ष, चेम्बर ऑफ कॉमर्स, गुमला/महाप्रबंधक हिण्डालको, लोहरदगा/प्रबंधक, ज्योमेक्स, लोहरदगा/ कार्यपालक अभियन्ता, पेय जल एवं स्वच्छता विभाग, गुमला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Sd/-
उपायुक्त, गुमला

ज्ञापांक 279/ गुमला, दिनांक 30.07.16/

प्रतिलिपि :– सचिव, उद्योग विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, श्रमनियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रमण्डलीय आयुक्त, द0 छो0 प्र0, राँची को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित ।

Sd/- 30.7.16
उपायुक्त, गुमला